

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

--कार्यालय आदेश--

कार्यालय आदेश सं० २८७ दिनांक २६-६-२५

श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल-2, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित खिजरसराय थाना में ग्राम आदमपुर मोड़ से गया इस्लामपुर पथ में अनियमितता के आरोप पर विभागीय कार्यालय आदेश सं०-82-सह-पठित ज्ञापांक 716 अनु० दिनांक 18.02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन के निमित्त श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-3, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, सहायक अभियंता के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय को नियुक्त किया गया। कालान्तर में श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, उन सभी विभागीय कार्यवाहियों में जिनमें वे प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त थे, कार्यालय आदेश सं०-29 दिनांक 12.06.2024 द्वारा इनके स्थान पर श्री विकास कुमार साह, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3 एवं प्रतिस्थानी मुख्य अभियंता-3 के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही श्री निर्मल कुमार, तदेन मुख्य अभियंता-3 के अधीन संचालित थी। श्री निर्मल कुमार, तदेन मुख्य अभियंता-3 का पदस्थापन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पद पर होने के कारण उनके द्वारा श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संबंधित अभिलेख श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5 को हस्तान्तरित किया गया है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल-2, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

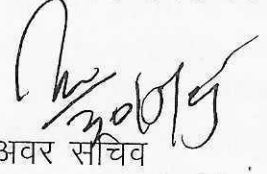
(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-513/2011 5720 /पटना, दिनांक :- 2-6-25

प्रतिलिपि :-श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

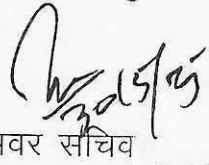
अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को 45 दिनों के अंदर समर्पित करने की कृपा की जाय।



अवर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-513/2011 5720 /पटना, दिनांक :- 2-6-25

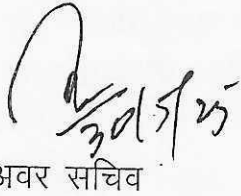
प्रतिलिपि :-श्री विकास कुमार साह, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय/श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल-2, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता:-विश्वमोहनी अपार्टमेंट, फ्लैट नं०-307, शालीमार स्वीट्स के पीछे, पोस्ट-लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना-20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-513/2011 5720 /पटना, दिनांक :- 2-6-25

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव